आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

29.7.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 222/2015–16

श्री जगन्नाथ राय, पिता–सुखदेव राय, सा0–बैरख, कोशकापुर दक्षिण, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया – वादी

बनाम

सूरज सौरेन, पिता–स्व0 मंगल सौरेन, ग्राम–बैरख, पो0–कोशकापुर दक्षिण, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया – प्रतिवादी

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद अंचल अधिकारी, रानीगंज के पत्रांक 1077, दिनांक 11.06.2013 द्वारा प्रेषित जमाबंदी सुधार वाद सं0 03/07–08 / 31/12–13 के अनुशंसा के आधार पर निम्न विवरण की भूमि पर बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 09 के तहत प्रविष्ट करते हुए उभय पक्षों को विधिवत सूचना निर्गत किया गया तथा उभय पक्षों की ओर से प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
कोशकापुर	148	1088	6849	52 डी0	2919

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया :–

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियान श्री बुद्धराम माँझी, पिता–स्व0 सुराय माँझी, सा0–कोशकापुर के नाम इन्द्राज था। अंचल रानीगंज से प्रमीशन सं0 53/1969–70 प्राप्त कर बुद्धराम माँझी ने निबंधित दस्तावेज सं0 11930, दिनांक 24.11.1969 द्वारा क्रेता दिनेश साह, पिता–मोहीचंद साह, सा0–बैरख कोशकापुर, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया को बिक्री कर दिया गया। तत्पश्चात क्रेता दिनेश साह के नाम से जमाबंदी सं0 2856 दर्ज हुआ, जिसका लगान उनके द्वारा दखलकार रहते हुए वर्ष 1998 तक भुगतान किया गया। वर्ष 1998 में विक्रेता दिनेश साह से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 6346, दिनांक 09.07.1998 द्वारा आवेदक प्रथम पक्ष, जगरन्नाथ राय को प्राप्त हुआ, जिसका जमाबंदी सं0 2856 उनके नाम से हस्तान्तरित हुआ और इनके द्वारा वर्ष 2015–16 तक का लगान भुगतान कर दिया गया

है। वर्ष 2007 तक आवेदक प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार रहें। किन्तु वर्ष 2007 में दिनांक 17.10.2007 को विपक्षी सूरज सौरेन, पिता–मंगल सौरेन, विपक्षी द्वारा लाठी, भाला, तीर–धनुष आदि एवं करीब दो–ढ़ाई सौ असमाजिक तत्वों के साथ मिलकर आवेदक को बेदखल कर जबरन अपना दखल–कब्जा प्रश्नगत भूमि पर कर लिया गया।

उनका यह भी कहना है कि विपक्षी सूरज सौरेन द्वारा मान्नीय मुंसफ न्यायालय से स्वत्व वाद सं0 705/75 दाखिल कर गलत निर्णय प्राप्त कर अपना दावा कर रहे है। जबकि 1969 में उनके दादा बुद्धराम माँझी द्वारा प्रमीशन लेकर उक्त भूमि की बिक्री की गई थी। दादा के विक्रय भूमि पर छः साल पश्चात् दाखिल स्वत्व वाद सं0 705/75 में प्रथम क्रेता दिनेश साह को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मुंसफ न्यायालय को धोखा देकर जजमेंट प्राप्त कर लिया है। अतः विपक्षी सूरज सौरेन को प्रश्नगत भूमि को जोत–आवाद करने पर प्रतिबंध, मजिस्ट्रेट बहाल कर आवेदक प्रथम पक्ष जगरनाथ राय को कब्जा दिलाने तथा मंगल सौरेन के नाम पर उक्त भूमि का जमाबंदी सं0 2919 को रद्द करने का अनुरोध करते है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष सूरज सौरेन के पिता मंगल सौरेन को स्वत्व वाद सं0 705/75 में डिग्री, दिनांक 10.01.1977 द्वारा प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि के अलावा ओर भी भूमि उन्हें उक्त स्वत्व वाद से प्राप्त हुआ है। जिसका कुल रकवा 2.06 एकड़ है, जिसका जमाबंदी मंगल सौरेन के नाम से वर्ष 1978 में जमाबंदी सं0 2919 कायम हुआ। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष पूर्वजों के समय से ही दखलकार होकर जोत–आवाद करते आ रहे हैं। उनके पिता मंगल सौरेन की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर उनके पुत्र सूरज सौरेन दखलकार है और वर्ष 2013 तक का लगान रसीद उन्हें प्राप्त है।

उनका यह भ कहना है कि वर्ष 2008 में प्रथम पक्ष जगरनाथ राय ने द्वितीय पक्ष को भूमि से बेदखल किये जाने का धमकी दिया गया तो उनके आवेदन पर श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के न्यायालय में वाद सं0 587M/2009 धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत मामला चला, जिसमें पुलिस द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष सूरज सोरेन का दखल है तथा जोत–आवाद करते आ रहे है। जिसे प्रथम पक्ष द्वारा भी अपने कारण–पृच्छा के पारा 8 एवं 9 में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा है। धारा 144 के वाद में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा उभय पक्षों को व्यवहार न्यायालय में जाने की सलाह दी गई। किन्तु आज तक प्रथम पक्ष ने उक्त न्यायालय में मामला दाखिल नहीं किया है। विज्ञ अंचलाधिकारी ने भी यह प्रतिवेदित नहीं किया है कि श्री जगन्नाथ राय के नाम जमाबंदी कब कायम की गई है। जबकि मंगल सौरेन एवं सुरज सौरेन द्वारा जमीन नहीं बिक्री की गई है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष के 40 वर्षों से चली आ रही जमाबंदी को राजस्व

न्यायालय को रद्द करने की शक्ति नहीं है।

अतः अंचलाधिकारी, रानीगंज के प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 08.02.2008 के प्रस्ताव को रद्द करने तथा प्रथम पक्ष (जगरनाथ राय) के नाम दर्ज जमाबंदी सं0 2856/1998 को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन तथा संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि विपक्षी सूरज सौरेन के दादा बुद्धराम माँझी के नाम सर्वे खतियान दर्ज था। जिनके द्वारा प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 11930, दिनांक 24.11.1969 द्वारा क्रेता दिनेश साह के साथ बिक्री की गई। जिसका जमाबंदी 2856 दर्ज हुआ। किन्तु उक्त जमाबंदी किस नामान्तरण वाद के तहत दर्ज हुआ है, इसका उल्लेख अंचलाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

पुनः क्रेता दिनेश साह द्वारा प्रश्नगत भूमि को बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 6346, दिनांक 09.07.1998 द्वारा प्रथम पक्ष जगरनाथ राय को बिक्री कर दिया गया। पूर्व संधारित जमाबंदी सं0 2856 क्रेता जगरनाथ राय के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया है।

वर्ष 1975 में विपक्षी सूरज सौरेन के पिता मंगल सौरेन को मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया से स्वत्व वाद सं0 705/1975 द्वारा प्रश्नगत भूमि का डिग्री प्राप्त है। जिसमें प्रथम पक्ष जगरनाथ राय और न ही प्रथम क्रेता दिनेश साह ही पक्षकार है। परन्तु उक्त स्वत्व वाद सं0 705/1975 के आधार पर विपक्षी के पिता मंगल सौरेन के नाम से जमाबंदी सं0 2919 दर्ज है। यह जमाबंदी नामान्तरण वाद सं0 1338/1971–72 के तहत कायम है, इसे अंचलाधिकारी, रानीगंज द्वारा अपने प्रतिवेदन पत्रांक 1005, दिनांक 5.5.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

अतः प्रश्नगत भूमि मौजा–कोशकापुर, खाता 1088, खेसरा 6849, रकवा 52 डी0 का दो–दो जमाबंदी दर्ज होना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि का बिना नामांतरण वाद के दर्ज जमाबंदी सं0 2856 को रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचलाधिकारी, रानीगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 106 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 29 / 07 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को जमाबंदी सुधार वाद सं0 03/2007–08 / 31/2012–13 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : जमाबंदी सुधार वाद सं0 03/2007–08 / 31/2012–13

29.7.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया